राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(6) राज/वाद/20 जयपुर, दिनांक 8-9-2020

:आदेश:

लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक (अधिवक्ता संवर्ग) को रूपये 250/– प्रतिमाह, अक्षरे रूपये दो सौ पचास मात्र (समस्त करों सहित) की दर से मोबाईल फोन के व्यय की पुर्नभरण की सुविधा एतद्द्वारा निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. पुर्नभरण हेतु संबंधित लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को स्वंय के नाम से मोबाईल का पोस्टपेड कनेक्शन लेना होगा। राज्य सरकार द्वारा मोबाईल हेण्डसेट व सिम उपलब्ध नहीं कराये जायेगें, अर्थात केवल मासिक नियमित व्यय ही देय होगें। मोबाईल व्यय मे, काल करने, इन्टरनेट प्रयोग करने तथा एस0एम0एस के लिये किये गये व्यय ही देय होगें, जिनकी अधिकतम सीमा रूपये 250/– (समस्त करों सहित) से अधिक नहीं होगी।
2. निर्धारित सीमा से अधिक व्यय होने पर अधिक राशि संबंधित अभियोजक द्वारा स्वंय वहन की जायेगी।
3. संबंधित अभियोजक बिल का भुगतान एवं सत्यापन कर मूल बिल मय रसीद पुर्नभरण हेतु संबंधित जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगें।

यह व्यय बजट मद 2014–00–114–01–00–05 कार्यालय व्यय उपमद से प्रभार्य होगा।

उक्त स्वीकृत वित्त (व्यय–5) विभाग की आईडी सं0 132000171 दिनांक 03.09.2020 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,
8/9/2020
(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक, राजस्थान।
6. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
7. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

8.9.20
(मधुसूदन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण